राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	411/2019 मामनराम बनाम महा सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम खेडकी वीरभान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 80/0.48, 81/0.08, 82/0.11, 95/0.38, 109/0.21, 110/0.28, 113/0.54, 126/0.34, 131/0.09, 132/0.09, 133/0.09, 135/0.11, 136/0.02, 137/0.03, 138/0.09, 139/0.09, 140/0.09, 141/0.09, 144/0.14, 145/0.08, 146/0.08, 164/0.34, 165/0.12, 166/0.14, 186/0.05, 190/0.23, 191/0.23, 199/0.08, 129/0.45, 142/0.20, 147/0.06, 148/0.06, 184/0.31, 187/0.05 के वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 सम्मलित रूप से रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने-अपने हिस्से अनुसार आराजी को काश्त करते हैं। उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है, फिर भी प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है तथा आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है। यदि प्रतिवादीगण अपने मंसूबो में कामयाब हो गये तो वादी को अजहद नुकसान होगा एवं उसके विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा। अतः आराजी वादग्रस्त का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा करवाया जाकर तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17/07/2017 पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 28/03/2018 पारित करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17/07/2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्राप्त होने पर तनकियात कायम किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2019	

तारीख हुक्म

मामनराम बनाम महा सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पारित करते हुये वादी का वाद अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28/03/2018 की अनुपालना करते हुये तनकीयात कायम कर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23/07/2019 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |